शर्त एवं वारण्टी (Condition & Warranties)

According to Sec. 12(1) S.O.G.A, 1930 —

Condition — माल विक्रय की संविदा में क्रेता माल खरीदते समय माल के बारे में अपना representation देता है अपना उद्देश्य बताता है। यही माल के बारे में उसकी तरफ से शर्त होती है। जिसको विक्रेता द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। अर्थात जब Buyer Goods खरीदने विक्रेता के पास जाता है तो वह Goods के बारे में अपनी Condition बताता है कि मुझे इस तरह की वस्तु चाहिए अर्थात representation देता है या अपना Purpose (उद्देश्य) बताता है कि मुझे इस उद्देश्य के लिए Goods चाहिए यदि आपके पास हो तो देदें यही representation और purpose शर्त (Condition) है।

यदि Buyer द्वारा क्रय की गई Goods उसके द्वारा बतायी गई Condition को Fulfill नहीं करती है तो Goods reject हो जायेगा और क्रेता, विक्रेता को माल वापस करके पैसा वापस ले सकेगा।

Warranties — माल-विक्रय की संविदा में कम्पनी या विक्रेता द्वारा क्रेता को माल के सम्बन्ध वारण्टी दी जाती है यह 1 year, 2 year or some month हो सकती है जिसके सम्बन्ध में कम्पनी या विक्रेता, क्रेता को यह आश्वासन देता है कि उपरोक्त समय के अन्दर यदि माल में कोई कमी आती है

तो उसको ठीक करके दिया जायेगा या उसे replace करके दिया जायेगा। इसमें क्रेता दूसरा माल के सम्बन्ध में अपना उद्देश्य नहीं बताया जाता है। क्रेता माल को reject नहीं कर सकता है defect की दशा में।

शर्त और वारण्टी में भेद

According to Sec 12(2), (3) & (4) —

शर्त संविदा के मुख्य प्रयोजन (उद्देश्य) के लिए मर्मभूत अनुबन्ध है जिसका भंग उस संविदा को निराकृत (रद्द) मानने का अधिकार उत्पन्न करेगा परन्तु वारण्ट संविदा के मुख्य प्रयोजन का सम्पार्श्विक (Collateral) अनुबन्ध है जिसका भंग नुकसानी के लिए दावा उत्पन्न करता है किन्तु माल को अस्वीकार करने का अधिकार उत्पन्न नहीं करता है। शर्त के भंग की दशा में निर्दोष पक्षकार संविदा को विखण्डित करके नुकसानी वसूल करने हेतु वाद चला सकता है वारण्टी के भंग की दशा में निर्दोष पक्षकार (क्रेता) संविदा को विखण्डित नहीं कर सकता, वह केवल नुकसानी के लिए वाद चला सकता है अर्थात यदि विक्रेता वारण्टी का उल्लंघन करता है तो क्रेता संविदा भंग करके माल वापस नहीं कर सकता है और भुगतान की गई कीमत वसूल नहीं कर सकता है, वह केवल उल्लंघन के कारण होने वाला नुकसान के लिए नुकसानी या प्रतिकर वसूल करने लिए विक्रेता के विरुद्ध वाद चला सकता है। कतिपय दशाओं में शर्त भंग को वारण्टी का भंग माना जाता है परन्तु वारण्टी के भंग को शर्त का भंग नहीं माना जाता है। इसके S.O.G.A., 1930 की धारा -13 में उपबन्ध दिया गया है।